भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 481
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास

481. डॉ. संबित पात्राः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके पुनर्वास हेतु बनाई गई नीति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। हालांकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में "एलडब्ल्यूई से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" अनुमोदित की गई थी। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें (इंटरवेंशन), स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

(i) सुरक्षा के मामले में, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियनें प्रदान करके और भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन करके, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविर संबंधी अवसंरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियों, उपकरणों तथा हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, फॉर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 481, दिनांक 03.02.2026

- वर्ष 2014-15 से अब तक राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 3681.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि बलों के परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं संबंधी व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के कारण मारे गए नागरिकों/वीरगति को प्राप्त हुए सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि प्रदान की जा सके।

- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के भाग के रूप में आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के माध्यम से इस प्रयास में राज्यों की सहायता भी करती है। भारत सरकार एसआरई योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, तीन साल के लिए 10,000 रुपये के मासिक वजीफे के साथ अपनी पसंद के धंधे/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी प्रावधान है। प्रभावित राज्यों ने अपनी समर्पण-सह-पुनर्वास नीतियों को और संशोधित किया है ताकि उन्हें लाभप्रद और समकालीन बनाया जा सके।

- राज्यों के पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" योजना के तहत पूरक बनाया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, गतिशीलता और पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी उप-योजना यानी विशेष अवसंरचना योजना (SIS) के तहत, LWE प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (SIBs), जिला पुलिस और फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के सुदृढ़ीकरण के लिए 1761 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। सुरक्षा बुनियादी ढांचे पर भारत सरकार का ध्यान महत्वपूर्ण रहा है। अब तक 656 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं।

लोक सभा अता. प्र.सं. 481, दिनांक 03.02.2026

- वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता (ACALWEMS) योजना के अंतर्गत शिविरों की बुनियादी संरचना और वामपंथी उग्रवाद से निपटने संबंधी ऑपरेशनों के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 से अब तक इस योजना के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों को 1224.59 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह को रोकने और सीपीआई (माओवादी) तथा इसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठ-गांठ का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए निधियों और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की जा रही है।

(ii) विकास के मामले में, भारत सरकार की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कई क्षेत्रों में विशिष्ट पहल की गई हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है, जिनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 वामपंथी उग्रवाद विशिष्ट योजनाओं अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (RRP) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (RCPLWEA) के अंतर्गत 15,016 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है।

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 9,233 टावर चालू हो चुके हैं।

- कौशल विकास के लिए, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केन्द्र (SDC) खोले गए हैं।

- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) को कार्यशील किया गया है।

- वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं।

- विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना में अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गई हैं। वर्ष 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3,953.67 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(iii) 'राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015' के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा में लगातार कमी आई है और इसका भौगोलिक फैलाव भी कम हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहे वामपंथी उग्रवाद पर हाल के दिनों में काफी अंकुश लगाया गया है और इसे केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल-2018 में 126 से घटकर दिसंबर-2025 में केवल 08 हो गई, जिसमें केवल 3 जिलों को अब सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्यवार LWE प्रभावित जिलों की सूची अनुलग्नक में है।

2024 में जिलों की एक नई कैटेगरी शुरू की गई, जिसका नाम है लेगेसी और थ्रस्ट जिले। हालांकि ये जिले अब LWE से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन इन जिलों के लिए राज्यों को सपोर्ट जारी रहेगा ताकि हासिल की गई सफलताओ को सुदृढ़ किया जा सके और हालात दोबारा खराब न हों। फिलहाल 30 जिले इस कैटेगरी में आते हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य इन इलाकों में लंबे समय तक स्थिरता और समन्वित विकास सुनिश्चित करना है।

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं वर्ष 2010 में 1936 के उच्च स्तर से 88% घटकर वर्ष 2025 में 234 हो गई हैं। नागरिकों और सुरक्षा बलों की परिणामी मृत्यु भी वर्ष 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 90% घटकर वर्ष 2025 में 100 हो गई है।

(iv) भारत सरकार देश से वामपंथी उग्रवाद के पूर्ण उन्मूलन के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होने वाले क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 481, दिनांक 03.02.2026

अनुलग्नक

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिले
1	छत्तीसगढ़	06	बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद कांकेर, नारायणपुर, सुकमा
2	झारखंड	01	पश्चिम सिंहभूम
3	ओडिशा	01	कंधमाल
कुल		**08**	